संख्या-17/2015/613 ई-2/तेरह-2015-227/2000

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 19 मार्च,2015

विषय:-मेसर्स इण्डिया ग्लाईकाल्स लि0 की उत्तराखण्ड में स्थित रासायनिक इकाई को उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से 15.00 लाख कुण्टल शीरा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-121/दस-144ए/शी0नि0/उत्तराखण्ड, दिनांक 25 फरवरी,2015 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दि0 25 फरवरी,2015 द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स इण्डिया ग्लाईकाल्स लि0 को उत्तराखण्ड राज्य में स्थित उसकी रासायनिक इकाई के लिये उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों से 15.00 लाख कुण्टल शीरा निर्यात की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वास्तविक शीरा निर्यात की अनुमति प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर से प्रदान की जायेगी।

तद्नुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/asd/intra